

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम-जो इस हुक्म
की तारीख में जारी
हए

11.01.2024

पत्रावली अप्रार्थी जुगल किशोर पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेगसर एवं उनके अधिवक्ता श्री मेवाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं जवाब मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी जुगल किशोर के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3371/133 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम में अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 06.10.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थी ने उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु ऋण लिया जा सके एवं कृषि कार्य के लिए विकसित किया जा सके, अप्रार्थी न अन्डरटेकिंग देता है कि भविष्य में उसके द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग किया जाता है तो संबंधित अधिकारी से उसको विधिवत संपरिवर्तन करवाकर ही कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य में उपयोग-उपभोग किया जावेगा। स्थगन आदेश निरस्त किये जाने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त भूमि को संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा। अतः स्थगन खारिज फरमाये जाने की कृपा करावें, जिससे अप्रार्थी संपरिवर्तन की कार्यवाही करवा सके।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3371/133 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम भूमि को संपरिवर्तन करवाना चाहता है, माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को उक्त कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 06.10.2020 एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(मनोज, RAS)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

